योजना का शीर्षक

विकेंद्रीकृत जे.डी.पी. क्षेत्र के लिए-एकीकृत पटसन विकास योजना (जेआईडीएस)

(क) **<u>योजना का उद्देश्य</u>**:

- पर्यावरणीय मामलों के गुण पर प्रकाश डालना/पटसन उत्पादों के लिए जागरूकता का सृजन करना।
- विकेंद्रीकृत क्षेत्र में पटसन विविधीकृत उत्पादों के उत्पादन के लिए कुशल कार्यबल की संख्या में वृद्धि करना।
- विविधीकृत पटसन उत्पादों के लिए उत्पादन आधार के विस्तार के उद्देश्य से कच्ची सामग्री के रूप में पटसन के प्रयोग के लिए अधिक से अधिक संख्या में उत्पादन इकाइयों की स्थापना करना।
- नई स्थापित पटसन विविधीकृत उत्पादों की उत्पादन इकाइयों में ग्रामीण जनता के लिए रोजगार का सृजन करना।
- यहां तक कि घरेलू और विदेशी बाजारों में पटसन उत्पादों और परम्परागत उत्पादों को स्वीकार्य बनाने के लिए नए और अभिनव पटसन उत्पादों की डिजाइन और विकास के लिए बल देना।
- पटसन विविधीकृत उत्पादों के उत्पाद के लिए कच्ची पटसन की खपत के लिए मांग में वृद्धि करना जिससे पटसन किसानों के उत्पादन के लिए सतत बाजार सुनिश्चित हो सके।
- उत्पादन इकाइयों के लिए पटसन की कच्ची सामग्री की निश्चित एवं सुचारू आपूर्ति के लिए आपूर्ति श्रृंखला बनाना।
- विकेंद्रीकृत पटसन विविधीकृत उत्पाद इकाइयों के संवर्द्धन के लिए व्यापार चैनलों की स्थापना करना।
- पटसन उत्पादों के लिए सतत बाजार सुनिश्चित करने के लिए बाजार संवर्द्धन कार्यकलापों के माध्यम से जेडीपी की बिक्री में वृद्धि करना।

(ख) **<u>योजना का औचित्य</u>**:

1. पटसन एग्रो-रिन्यूबेल, बायो-डिग्रेडेबल और कार्बन पॉजीटिव फाइबर है। अधिक से अधिक पर्यावरणानुकूल प्राकृतिक उत्पादों के प्रयोग की ओर धीरे-धीरे बदलाव हुआ है। फिलहाल दुनिया भर में प्रतिवर्ष करीब 500 बिलियन प्लास्टिक थैलों का प्रयोग होता है और इसकी संख्या में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है। सिंथेटिक/प्लास्टिक सामग्री के अनियंत्रित प्रयोग के बुरे-प्रभाव के बारे में लोग भी जानते हैं। भारत में रोजाना कुल 6000 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा बिना एकत्र किए पड़ा रह जाता है। इससे भारी कूड़ा-कचरा के ढ़ेर लग जाते हैं जो अंतत: हमारे लिए गैर-निवास वाले क्षेत्रों का निर्माण करेंगे।

कूड़ा/प्लास्टिक कचरे के इस सृजन पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों, शहरों, नगर निगमों ने प्लास्टिक थैलों (निश्चित माइक्रोन से कम) के एकल प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना आरंभ कर दिया है।

2. घरेलू बाजार में प्लास्टिक थैलों के एकल प्रयोग के स्थान पर पटसन थैलों को बदलने के इस अवसर और भारी संभावना का पता लगाने के लिए एनजेबी अपने शाखा कार्यालयों के साथ स्थानीय साझीदारों जो देशभर के अग्रणी एनजीओ (पर्यावरण के लिए कार्य करने वाले), एसएचजी परिसंघों, संस्थानों, उद्यमियों तथा अधिमानत: स्थानीय जिला प्रशासनिक प्राधिकारी अथवा पर्यावरण मंत्रालय, नगर निगम आदि हो सकते हैं, की सिफारिशों से सहयोगात्मक व्यवस्थाएं स्थापित करेंगे।

3. इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य हरित पटसन उत्पादों और विशेष तौर पर कई बार उपयोग वाले पटसन थैलों (ताकि मूल्य/निष्पादन कारक प्लास्टिक थैलों के साथ तुलनात्मक हो) का व्यापार संवर्द्धन और विकास किया जाएगा क्योंकि एकल प्रयोग वाले प्लास्टिक थैलों के प्रतिस्थापन के लिए एकमात्र विकल्प उपलब्ध है।

4. वर्ष 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत की कुल जनसंख्या 1.2 बिलियन है। यहां तक कि यदि एक व्यक्ति सिंथेटिक/प्लास्टिक थैलों के प्रतिस्थापन के रूप में प्रति वर्ष 2 पटसन थैलों का उपयोग करता है और भारतीय जनसंख्या की 50% जनता को निष्क्रिय बाजार के रूप में लक्षित किया जाता है तो पटसन थैलों की कुल जरूरत प्रति वर्ष 100 करोड़ होगी। एक थैला का वजन औसतन 200 ग्राम लेने पर कुल पटसन खपत लगभग पटसन की 4,00,000 मीट्रिक टन [$100x10^7x200x2/10^6$] होगी।

5. इसके चलते और आगे चलकर कच्ची पटसन की खपत बढ़ सकती है। इस योजना से किसान लाभान्वित होंगे, बहुत से उद्यमी कार्य करेंगे तथा कई लोगों (कुशल श्रमिकों) के पास लाभप्रद रोजगार होगा। अंतत: पर्यावरण मानवता के लिए संरक्षित रहेगा क्योंकि पटसन प्राकृतिक और पृथ्वी अनुकूल सामग्री है।

6. इस योजना के परिणामस्वरूप वैश्विक रूप से पटसन प्रतिस्पर्धी पर्यावरणीय लाभ के साथ-साथ वैश्विक रूप से पटसन सामानों की बिक्री बढ़ेगी और पटसन विविधीकृत उत्पादों की हिस्सेदारी भी बढ़ेगी। उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित मूल आधारों पर बल देने सहित एकीकृत और मोड्यूलर एप्रोच की भी परिकल्पना और संकल्पना की गई है।

   (क) विकासात्मक योजनाएं

   (ख) कच्ची सामग्री और खुदरा आउटलेट योजना

   (ग) बाजार योजना

7. एनजेबी के पास देशभर में जेडीपी प्रशिक्षण कार्यकलापों को सम्पन्न करने के लिए पैनलबद्ध प्रशिक्षकों की एक सूची है और विज्ञापनों आदि के माध्यम से नए प्रशिक्षकों और डिजाइनरों को आगे शामिल करेगी। योजना के लिए एजेंसियों, डिजाइनरों और प्रशिक्षकों का चयन करने के लिए मानक के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा।

(ग) **<u>योजना का ब्योरा:</u>**

(क) विकासात्मक योजनाएं

इसमें विकेंद्रीकृत पटसन उत्पाद क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एकीकृत/मोड्यूलर और समन्वित तरीके से सूक्ष्म स्तर पर उत्पाद विकास, डिजाइन सहायता, संस्थागत सहायता, बुनकरों और कारीगरों को प्रशिक्षण तथा विपणन सहायता आदि जैसे कार्यकलापों के विस्तृत विस्तार का ध्यान रखने के लिए पटसन थैला, पटसन हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए जेडीपी कलस्टर की स्थापना करना शामिल होगा। इसके अतिरिक्त, यह एक समयावधि के पश्चात उन्हें पूर्ण विकसित पटसन विविधीकृत उत्पाद उद्यमी बनाने के उद्देश्य से अनुरक्षण सहायता सेवाएं प्रदान करेगा।

<u>क्रियान्वयन रणनीति:</u>

- ❖ पटसन के प्रयोग पर देश के विभिन्न भागों में जागरूकता तथा क्षमता निर्माण कार्यशाला करना तथा स्थायी एप्रोच के साथ पटसन विविधीकृत उत्पादों के विनिर्माण के लिए लघु एवं छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करना।
- ❖ विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों, जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन द्वारा और उत्पाद/डिजाइन विकास कार्यक्रमों आदि के माध्यम से अधिक विविधीकृत अनुप्रयोग क्षेत्रों में पटसन के प्रयोग का संवर्द्धन करना।

इस योजना के अंतर्गत प्रचालनों हेतु सहयोगी एजेंसियों का चयन उद्यमियों एवं उद्योगों के संवर्द्धन हेतु विकास कार्यकलापों को सम्पन्न करने में पर्याप्त अनुभव वाले सरकारी/अर्द्ध-सरकारी संगठनों, स्वायत्त निकायों, ख्याति प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों, एनजीओ, एसएचजी परिसंघों, संस्थानों, उद्यमियों से किया जाएगा। ये सहयोगी एजेंसियां मौजूदा एवं भावी उद्यमियों के लिए बैकवार्ड एवं फॉरवार्ड लिंकेज प्रदान करने के लिए सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करेंगे।

सभी कार्यकलाप राज्य सरकारों/केंद्र तथा राज्य सरकार की अग्रणी एनजीओ/सहकारी सोसाइटियों/एजेंसियों के उचित संपर्क से कार्यान्वित किये जाने हैं तथा जिला कलेक्टर, पीडी, डीआरडीए, डीआईसी आदि की सहायता से क्रियान्वित किया जाना है। बेहतर परिणामों के लिए सरकार के हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास कार्यक्रमों के साथ संपर्क स्थापित किए जाएंगे।

(ख) **<u>कच्ची सामग्री और खुदरा आउटलेट सहायता योजना:</u>**

मिल गेट मूल्य पर अपने क्षेत्रों में लघु उद्यमियों, शिल्पियों तथा कारीगरों द्वारा अपेक्षित अनुसार छोटी मात्राओं में पटसन फाइबर, फैब्रिक और यार्न उपलब्ध कराने के लिए कच्ची पटसन सामग्री के वितरण के लिए आपूर्ति आउटलेट विकसित किए जाने हैं।

- ❖ उचित मूल्य, अधिमानत: मिल गेट मूल्य पर देशभर में पटसन यार्न, फाइबर तथा अन्य कच्ची सामग्रियों की बिक्री के लिए सहयोगी साझीदारों के सहयोग से आउटलेटों की स्थापना।
- ❖ विभिन्न प्रयोगों तथा जागरूकता के सृजन में पटसन के अनुप्रयोगों पर सूचना प्रदान करना।

जहां जेडीपी कार्यकलाप आरंभ हो गए हैं तथा स्थानीय बाजार में पटसन आधारित कच्ची सामग्री उपलब्ध नहीं है वहां कच्ची सामग्री के लिए आपूर्ति आउटलेट खोले जाने हैं। छोटे कारीगरों, उद्यमियों, महिला स्वयं सहायता समूहों, बुनकरों तथा हस्तशिल्प कारीगरों की आवश्यकता के अनुरूप कच्ची सामग्री तथा सेवाएं प्रदान की जाएंगी। बेहतर परिणामों के लिए सरकार के हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास कार्यक्रमों के साथ संपर्क स्थापित किए जाएंगे।

(ग) **<u>विपणन योजनाएं:</u>**

घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के विभिन्न क्षेत्रों में पटसन उत्पादों की स्वीकार्यता के कारण बाजार विकास विकेंद्रीकृत क्षेत्र में पटसन विविधीकृत उत्पादों के संवर्द्धन हेतु किए जाने वाले कार्यकलापों के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। विकेंद्रीकृत पटसन विविधीकृत उत्पाद क्षेत्र की वृद्धि और उपभोक्ताओं के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकता पूरी करने के लिए उत्पादों की विविध रेंज के उभरने के अनुरूप मौजूदा एसओपी (छात्र आउटरीच कार्यक्रम) के पैकेज के साथ एक केंद्रित अभियान आरंभ किया जाए और दीर्घकालीन आधार पर सम्पन्न किया जाए। प्राथमिक लाभार्थी देशभर में इसके प्रसार के साथ पटसन विविधीकृत उत्पादों के लघु एवं छोटे उद्यमी होंगे।

<u>क्रियान्वयन रणनीति:</u>

- बाजार सूचना का विकास
- संगोष्ठियों और कार्यशालाओं के माध्यम से बाजार एवं उत्पादों के प्रति जागरूकता पैदा करना।
- अनुरक्षण सेवाओं और विभिन्न विपणन मंच प्रदान करके उद्यमियों का विकास अर्थात व्यापार शो, राष्ट्रीय स्तर के मेलों में प्रतिभागिता, राज्य/जिला एवं गांव स्तर पर पटसन मेलों के आयोजन द्वारा संवर्द्धन
- पटसन उत्पादों (पटसन निर्मित, भारतीय प्राकृतिक रेशा) का ब्रांड संवर्द्धन।
- वर्ष भर पटसन विविधीकरण में उत्पाद विशिष्ट अभियानों तथा नवीनतम विकासों को उजागर करने पर बल देकर केंद्रित विज्ञापन अभियान।
- पटसन के पर्यावरणानुकूल तथा कार्बन सकारात्मक गुण को उजागर किया जाएगा।
- मौजूदा खुदरा आउटलेट योजना के साथ बंडलिंग
- सतत एप्रोच के साथ व्यापार सृजन

(घ) **<u>योजना का कार्यक्रम:</u>**

यह योजना एनजेबी बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाने वाली अपनी वार्षिक कार्य योजना के तहत वार्षिक आधार पर एनजेबी द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। प्रस्ताव है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 से आरंभ में लगभग 5 पटसन एकीकृत विकास केंद्र (जेआईडीसी) चलाए जाएंगे। ये केंद्र जागरूकता कार्यशाला, तकनीकी कार्यशाला का आयोजन, परामर्श, अनुरक्षण सेवाएं प्रदान करके तथा स्थानीय प्राधिकरणों के साथ संपर्क, प्रशिक्षण कार्यक्रम, क्रेता-विक्रेता बैठकें, प्रदर्शनी तथा एनजेबी द्वारा निर्देशित अनुसार ऐसे अन्य कार्यक्रम आयोजित करने के अलावा कार्य योजना के अनुसार कलस्टरों का विकास करेंगे। अपने पहले वर्ष के दौरान जेआईडीसी के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के पश्चात प्रत्येक जेआईडीसी कच्ची पटसन सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने और पटसन खपत बढ़ाने के लिए भी कम से कम एक पटसन कच्ची सामग्री बैंक संचालित की जाएगी।

अनुमान है कि छठे वर्ष अर्थात 2020-21 की अवधि के अंत तक 50 टीसीपीसी तैयार हो जाएंगे। इससे प्रति टीसीपीसी कम से कम 50 व्यक्ति प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। अनुमान है कि क्रियान्वयन की इस अवधि के दौरान व्यक्तियों की कुल भागीदारी में अधिकांश महिलाएं (महिला स्वयं सहायता समूहों) और बेरोजगार युवक जिन्हें पटसन विविधीकरण में रोजगार में लाभप्रद रूप से लगाया जाएगा, जो कम से कम 2000 होंगे।

(ड़) कार्यकलापों, व्यय तथा अनुमानित वास्तविक लक्ष्यों का प्रवाह निम्नलिखित विवरण में दिया गया है:
तालिका-1, सहयोगी एजेंसियों के कार्यकलाप

क्र.सं.	कार्यकलाप	वर्ष में कार्यक्रमों की सं. तथा प्रत्येक कार्यक्रम की लागत	ऐसे कार्यक्रम की लागत (रूपए लाख में)	प्रत्येक कार्यक्रम में लाभार्थियों की सं.	प्रत्येक कार्यक्रम की अवधि	टिप्पणी
1	मूल एवं अग्रिम प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण	75,000/- रूपए प्रत्येक की दर से 8	6.00	20	2 सप्ताह	कार्यकलाप के बजट से एनजेबी द्वारा 15,000/- रू. प्रशिक्षकों तथा 25,000/- रू. डिजाइनरों की लागत का भुगतान किया जाएगा।
2	डिजाइन प्रशिक्षण	90,000/- रूपए प्रत्येक की दर से 4	3.60	20	2 सप्ताह	
3	प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र	1,50,000/-	3.00	12		10 सिलाई मशीनों अथवा

		रूपए प्रत्येक की दर से 2		प्रत्येक टीसीपीसी		5 करघों की लागत
4	पटसन कच्ची सामग्री का स्रोत					जेआरएमबी से
5	खुदरा आउटलेटों की स्थापना	2 सं.	खुदरा आउटलेट योजना से पूरा किया जाना है			खुदरा आउटलेट योजना के अंतर्गत
6	विपणन सहायता	8 भागीदारों की सहायता	1.20			एनजेबी मेलों के अंतर्गत भागीदारी के लिए
7	परिचालन लागत	श्रम शक्ति लागत	1.20			केवल एकीकृत केंद्र के लिए
8	प्रतिवर्ष प्रति केंद्र कुल लागत		15.00			
9	प्रथम वर्ष में 5 केंद्रों के लिए कुल लागत		75.00			
10	मोड्यूलर एप्रोच के लिए प्रावधान		25.00			मोड्यूलर एप्रोच के अंतर्गत क्रम सं. 1, 2 और 3 स्थित कार्यकलापों को भी संपन्न किया जाए बशर्ते एजेंसी के पास अपेक्षित अवसंरचना है।
11	कुल लागत		100.00			

(च) **योजना की मॉनीटरिंग:**

यह योजना एनजेबी द्वारा इसकी गैर-योजना निधि से क्रियान्वित की जाएगी। योजना को समुचित ढ़ंग से क्रियान्वित करने के लिए एक मॉनीटरिंग एवं अनुमोदन समिति (एमएसी) का गठन किया गया है जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल है:-

पटसन आयुक्त	अध्यक्ष
सचिव, राष्ट्रीय पटसन बोर्ड	संयोजक
निदेशक (पटसन), वस्त्र मंत्रालय	सदस्य
निदेशक (वित्त), वस्त्र मंत्रालय	सदस्य
अध्यक्ष, आईजेएमए	सदस्य
अध्यक्ष, जेपीडीईपीसी	सदस्य
एनजेबी के योजना अधिकारी	सदस्य

अध्यक्ष आवश्यकतानुसार उद्योग/शैक्षिक जगत के विषय विशेषज्ञों से सहयोग ले सकता है।

समिति (एमएसी) के विचारार्थ विषय:

एमएसी मामलों की जांच-पड़ताल करने के लिए दो महीनों में कम से कम एक बार बैठक करेगी और आसन्न कारकों को न्यूनतम करने/समाप्त करने तथा उचित क्रियान्वयन के लिए योजना को परिवर्तन सुझाने सहित तत्काल निर्णय लेने हेतु समस्याग्रस्त क्षेत्रों में दखल देने, उद्देश्य, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निर्णय लेगी।

एमएसी के निर्णय के अनुसार सचिव, एनजेबी द्वारा एक उप-समिति गठित की गई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य हैं:

उप-पटसन आयुक्त
सचिव, राष्ट्रीय पटसन बोर्ड
नाबार्ड का प्रतिनिधि
निफ्ट का प्रतिनिधि
अध्यक्ष, जेपीडीईपीसी
कार्यालय प्रमुख, डीजेएफटी

उप समिति के विचारार्थ विषय

1. उप-समिति प्रस्ताव पर विचार करेगी और शामिल किए जाने को अनुमोदित करेगी और/अथवा बाद में इसे एमएसी से अनुमोदित कराएगी।

2. उप-समिति संशोधन, निधि का पुन: आवंटन आदि के लिए आवश्यक उपाय पर एमएसी को सिफारिश करेगी।

सीए और एनजेबी के मध्य हस्ताक्षर किए गए एमओयू की शर्तों के अनुसार क्रियाकलापों के चयन तथा उन्हें सौंपने पर एनजेबी निर्धारित कार्यक्रमानुसार क्रियाकलापों को स्वीकृत करेगा। क्रियाकलापों की स्वीकृति के उपरांत, एनजेबी निम्नलिखित निधि प्रवाह प्रणाली के अनुसार निधियों को जारी करेगा।

क्रियाकलाप स्वीकृति पत्र के साथ 50%

क्रियाकलापों के पूर्ण होने की रिपोर्ट और विस्तृत रिपोर्टों की प्रस्तुति और सीए प्रमाणन के साथ संपीरिक्ष लेखाओं को प्रस्तुत करने पर 50 %

*****